

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली जिला-मुंगेली (छ.ग.)

PH. NO. 07755-264140

email.id. mungelideo@gmail.com

क्र./285/मान्यता/अनुमति/2025

मुंगेली,दिनांक..LL/04/2025

नवीनीकरण

प्रति,

प्रबंधन वर्ग

न्यू जनरेशन शिक्षण समिति लोरमी

वि.ख.लोरमी जिला-मुंगेली (छ.ग.)

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा 18 के प्रयोजन लिये,निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के नियम, 2009 के नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र।

संदर्भ :- सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर का पत्र क्रमांक/6367/अशास.मान्यता/2022 रायपुर दिनांक 03.10.2022।

महोदय,

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 20.02.2025 के संदर्भ में और एतद विषयक विद्यालय के पत्राचार/विद्यालय के निरीक्षण के उपरांत (विद्यालय का नाम पता सहित) में न्यू जनरेशन पब्लिक स्कूल लोरमी वि.ख. लोरमी यू डार्डस कोड-22191218318 पंजीयन-वि.स. 11119 दिनांक 24.12.2009 को कक्षा नर्सरी से बारहवी तक (कला,विज्ञान,वाणिज्य एव कृषि) संकाय में (अंग्रेजी माध्यम/छ.ग.बोर्ड) हेतु अस्थायी मान्यता/अनुमति प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

1. मान्यता की स्वीकृति परिवर्धनीय नहीं है और किसी भी प्रकार से कक्षा आठवी के बाद की मान्यता से संबंधित नहीं है।
2. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 (एनेक्सर-1) और बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 (एनेक्सर-2) विद्यालय के लिये बंधनकारी होगा।
3. विद्यालय कक्षा पहली में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधाहीन समूह के बच्चों को की दर्ज संख्या के 25 प्रतिशत तक प्रवेश देगा और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की स्थिति में भी यही मानक लागू होगा।
4. परिच्छेद 3 में संदर्भित बच्चों के लिए कानून के खण्ड 12 (2) के अनुसार विद्यालय की व्यय प्रतिपूर्ति की जावेगी। ऐसे प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए विद्यालय पृथक् बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई भी केपिटेशन शुल्क नहीं लेगा,और न ही बच्चे का या उसके माता पिता का या पालकों का स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा।
6. विद्यालय आयु प्रमाण पत्र के अभाव में साथ ही धर्म जाति या वंश जन्म स्थान या अन्य आधार पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा कि:-
 - 1) प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में रोका नहीं जायेगा या विद्यालय से निकाला नहीं जायेगा।
 - 2) प्रवेशित किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जायेगी।
 - 3) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।
 - 4) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले बच्चों को नियम 25 में यथानुसार प्रमाण पत्र प्रदान किया जावेगा।
 - 5) कानून के प्रावधानों के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का समावेश।
 - 6) शिक्षक कानून के खण्ड 23 (1) में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यताओं सहित नियुक्त किये जाते हैं।

E/DEO WORK/MAHENDRA SIR/MANYTA/1 01


President

New Generation Shikshan Samiti
Lormi, Dist.Mungeli

Principal

New Generation Public School
Lormi, Dist-Mungeli(C.G.)

- 05 वर्ष की समयावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं प्राप्त करेंगे।
- 7) शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते उनकी सेवा नियम व शर्तें कानून के खण्ड 23(3) के उद्देश्य के लिये नियम 18 के उपनियम (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशंसित होगी।
 - 8) शिक्षक कानून के खण्ड 24 (1) के तहत विशिष्टीकृत कर्तव्य पूरा करते हैं और शिक्षक स्वयं को निजी शिक्षण गतिविधियों में संलग्न नहीं करेंगे।
 - 9) विद्यालय उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पाठ्य चर्चा के आधार पर लागू करेगा।
 8. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में वर्णित विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक छात्रों को प्रवेश देगा।
 9. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में विशिष्टीकृत विद्यालय के स्तरों और मानकों को बनाये रखेंगे। अंतिम निरीक्षण के समय प्राप्त सुविधाएं निम्नानुसार हैं।
विद्यालयपरिसर का क्षेत्रफल/कुल निर्माण का क्षेत्रफल/खेल के मैदान का क्षेत्रफल/
अध्यापन कक्षाओं की संख्या/प्रधानपाठक सह कार्यालय, सह भंडार हेतु कक्ष/बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय/पेय जल सुविधा/मध्याह्न भोजन पकाने हेतु किचन/बाधा रहित पहुँच/
शिक्षण अधिगम सामग्री/खेलकूद के उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता।
 10. विद्यालय परिसर के भीतर या समान नाम के विद्यालय में बाहर गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायेगा।
 11. विद्यालय भवन या अन्य निर्माण या मैदान का दिन या रात में व्यवसायिक या आवासीय उद्देश्यों (विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवासीय उद्देश्यों को छोड़कर) या राजनैतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग नहीं किया जाता है।
 12. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1880 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत सोसायटी द्वारा या किसी कानून के तहत समयावधि के लिये गठित पब्लिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है।
 13. विद्यालय का संचालन किसी व्यक्ति, समूह या व्यक्तियों के समूह या अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं किया जायेगा।
 14. लेखा परिक्षण कराया जाना चाहिये और चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित कराया जाना चाहिये और नियमानुसार एकाउन्ट स्टेटमेंट तैयार किया जाना चाहिये। एकाउन्ट स्टेटमेंट की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक वर्ष भेजा जाना चाहिये।
 15. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड नंबर 1129/10.04.2018 है। इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार में इसे अंकित किया जाए।
 16. विद्यालय समय-समय पर शिक्षा संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारीयों और प्रतिवेदनों को प्रदाय करता है और मान्यता की शर्तों की सतत पूर्ति करने या विद्यालय के संचालन में कमियों के निवारण के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करता है।
 17. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, आवश्यकतानुसार को सुनिश्चित किया जावे।
 18. विद्यालय बंद करने या आगे संचालन नहीं करने की स्थिति में इस कार्यालय को तीन माह पूर्व लिखित में कारण सहित सूचित करना होगा।
 19. छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
 20. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण जीवित पंजीयन/नवीनीकरण होना आवश्यक है।
 21. संस्था द्वारा प्रदत्त कोई भी जानकारी गलत पाये जाने पर अथवा उच्च कार्यालय द्वारा किसी भी उचित कारण से संस्था की मान्यता समाप्त की जाती है, तो यह अनुमति आदेश स्वमेव समाप्त माना जावेगा।
 22. अन्य शर्त एनेक्सर 3 के अनुसार संलग्न है।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-मुंगेली (छ.ग.)


President

New Generation Shikshan Samiti
Lormi, Dist. Mungeli


Principal

New Generation Public School
Lormi, Dist-Mungeli(C.G.)